कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरू संभाग, चूरू

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 (**विषय–संस्कृत**) के नॉन–ज्वाईनर्स अभ्यर्थियों के विरूद्ध आरक्षित सूची में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020 दिनांक 03.04.23 में प्रदत्त निर्देशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सि. रिट याचिका संख्या–5853/2019 दिनेश चौधरी व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 की पालना के सन्दर्भ में दायर अवमानना याचिका संख्या 617/22 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2023 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्रांक एफ.6(1)परीक्षा/व0अ0(मा. शि.)/2016–17/संस्कृत/718 दिनांक 27.03.2023 की अनुपालना में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित अभ्यर्थी को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/–रू. प्रतिमाह/विद्यमान (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 06.04.2023 को आयोजित परामर्श शिविर में उनके द्वारा दिये गये विकल्प/सहमति पत्र के आधार पर संलग्न सूची के अभ्यर्थी को द्वितीय वेतन श्रृखला वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है ।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 में श्रीमान् निदेशक महोदय द्वारा जारी संशोधित आदेश दिनांक 04.09. 2019 के अनुसार देय होगा।
5. उक्त नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक(विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा–2016 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 28/2023 आयोग बनाम दिनेश चौधरी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :–

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें। कार्यग्रहण से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं अभ्यर्थी की विगत (details where about) की सही जांच कर कार्यग्रहण करवाया जायें। किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर सम्बन्धित के विरूद्व विभागीय जांच सुनिश्चित की जावेगी।
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ हैं, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
6. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Pit Ram Singh
Designation : Joint Director
Date: 2023.04.06 22:06:37 IST
Reason: Approved

7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण किये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।

8. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं, अतः नवनियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई हैं, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। यदि राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य नहीं पाई गई तो ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

9. नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/–रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

10. अन्य पिछडा वर्ग मे चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ''अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता है ,अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

11. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही कराया जावे तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दिया जावें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

12. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें ।

13. आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की जॉच मूल प्रमाण पत्रों से कर ली जावे यदि जॉच में किसी भी प्रकार की भिन्नता पायी जावे तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें ।

14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

16. कार्यग्रहण कराने से पूर्व यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवामें कार्यरत है तो पूर्व नियुक्ति अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें। विपरीत स्थिति में कार्यग्रहण ना कराकर इस कार्यालय को अवगत् करावें।

Signature valid
Digitally signed by Pit Ram Singh
Designation : Joint Director
Date: 2023.04.06 22:06:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3597288

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 27.04.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

संलग्नः– आदेश संख्याः–01।

(पितराम सिंह)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरू संभाग, चूरू

क्रमांक : संनि / स्कूल शिक्षा / चूरू / संस्था–ब / RPSC–16 / विभिन्न विषय / रिशफल आंवटन / 2023 / 6491–6504 दिनांक–06.04.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान ....
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित विद्यालय को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान ....
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके है, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
11. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)।
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. **सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरू संभाग, चूरू

Signature valid
Digitally signed by Pit Ram Singh
Designation : Joint Director
Date: 2023.04.06 22:06:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3597288

कार्यालय–संयुक्त निदेशक, (स्कूल–शिक्षा) चूरू सम्भाग, चूरू

क्रमांक : संनि/स्कूल शिक्षा/चूरू/संस्था–ब/RPSC–16/विभिन्न विषय/रिशफल आंवटन/2023/6491–6504 दिनांक–06.04.23

आदेश संख्या– 01 **वरिष्ठ अध्यापक(संस्कृत)**

S. NO	MERIT NO.	NAME FATHER NAME AND DOB	ADDRESS	SELE. CAT.	H. CAT.	OWN CAT.	POSTING PALACE	PHOTO
1	R-364	PREMLATA RUPA RAM 15-07-1982	VILLAGE-PARMANPURA THANA-AMARSAR TEHSIL-SHAHPURA DISTRICT-JAIPUR 303806	OBCF	-	BC, WE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARASRAMPURA (216082) (08050707806)	

(पितराम सिंह)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
चूरू संभाग,चूरू

Signature valid
Digitally signed by Pit Ram Singh
Designation : Joint Director
Date: 2023.04.06 22:06:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3597288